

Important Checklist to be followed for issuing FORM 'O' for the purpose of dealership/डीलरशिप के लिए फॉर्म "ऑ" निर्गत करने हेत् आवश्यक चेक – लिस्ट!

The below mentioned checklist has to be followed before providing FORM "O" & other relevant documents to a dealer for the purpose of Dealership with our Company/एक डीलर को डीलरशिप हेतु फॉर्म "ऑ" एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेज मुहैया करने के पहले निम्नांकित चेकलिस्ट का अनुपालन अनिवार्य होगा:-

- 1. Self attested photocopy of Fertilizer Registration Certificate (FRC) or photocopy of authorized challan by the Agriculture Department/उर्वरक पंजीकरण प्रमाण पत्र या कृषि विभाग के द्वारा अधिकृत चलन कि स्वअभिप्रमाणित फोटोकॉपी!
- 2. Self attested photocopy of Certificate of Registration with the Commercial Taxes Department/वाणिज्य कर विभाग के साथ पंजीकरण का स्वअभिप्रमाणित फोटोकॉपी!
- 3. Self attested photocopy of Bank Account Statement of 6 (six) months/छः (6) महीने के बैंक खाते विवरण कि स्वअभिप्रमाणित फोटोकॉपी!
- 4. Self attested photocopy of PAN card in the name firm/प्रतिष्ठान के पैन कार्ड कि स्वअभिप्रमाणित फोटोकॉपी!
- 5. Self attested photocopy of PAN card in the name of partner/proprietor/पार्टनर/मालिक के पैन कार्ड कि स्वअभिप्रमाणित फोटोकॉपी!
- 6. Please fill up the below contact information/कृपया निम्नांकित संपर्क सुचना भरें:

(a)	Mobile Number:	
(b)	Fax Number:	
(c)	F-Mail: (in Block Letters)	

- 7. Three numbers of duly authorized Multicity Checques with following details/निम्नांकित विवरण के साथ विधिवत अधिकृत 3 (तीन) कि संख्या में मल्टी-सिटी चेक:
 - (a) Amount/राशि: As per the credit limit intended to be provided/दिए जाने वाले क्रेडिट लिमिट के अन्सार!
 - (b) Date: Should be blank/कुछ नहीं लिखा होना चाहिए!
 - (c) Pay to: Name of our Company/हमारे प्रतिष्ठान का नाम!
 - (d) Signature: Front & back of the Checque/चेक के आगे एवं पीछे!

Note 1/नोट 1: After the above information/documents are provided by the dealer, we shall issue FORM "O" along with other documents such as our terms & conditions, policies, values & objectives etc/एक डीलर से उपरोक्त के अनुसार सूचना/दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत हम फॉर्म "ऑ" के साथ अन्य दस्तावेज जैसे नियम व शर्त, निति, मूल्य एवं उद्देश्य इत्यादि मुहैया कराएंगे!

Note 2/नोट 2: After amended FRC is provided by the dealer; the amended FRC and documents received as per the above checklist has to be communicated to the Corporate Department of Accounts & Finance for necessary registration for the purpose of carrying on business with the dealer/डीलर के द्वारा संशोधित उर्वरक पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत संशोधित उर्वरक पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज जो उपरोक्त चेकलिस्ट के अनुसार प्राप्त हुए हैं को डीलर के साथ व्यापार करने हेतु कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट ऑफ़ एकाउंट्स एंड फाइनेंस को संसूचित किया जाएगा!

Note 3/नोट 3: Other than Checque, a dealer may make online application that by visiting the link > http://www.consam.in/form-o-application.php लिंक पर जा ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं जिसकी हम सराहना करेंगे!